

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर-492002

क्रमांक एफ 3-4/2007/12
प्रति,

रायपुर, दिनांक मई, 2015
11 MAY 2015

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
सोनाखान भवन,
रायपुर(छत्तीसगढ़)

विषय :- जिला सरगुजा, तहसील सीतापुर, ग्राम पथरई के कुल रकबा 99.350 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा बाबत-मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 10.07.2013, दिनांक 31.03.2014 एवं दिनांक 09.01.2015 एवं आपका पत्र क्रमांक 1593/बाक्सा0/2015, दिनांक 24.03.2015.

—0—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिला सरगुजा, तहसील सीतापुर, ग्राम पथरई के कुल रकबा 99.350 हेक्टर पर खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर(महाराष्ट्र) से अनुमोदित मायनिंग प्लान 06 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्रस्तुत किए जाने हेतु लेख किया गया है।

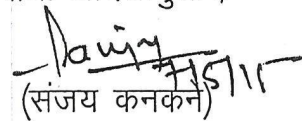
साथ ही विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 31.3.2014 द्वारा अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किए जाने हेतु अतिरिक्त 06 माह तथा दिनांक 09.01.2015 द्वारा 06 माह की अतिरिक्त समयावृद्धि प्रदान किया गया है।

2/ छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भित पत्र दिनांक 24.03.2015 द्वारा यह अवगत कराया है कि ड्राफ्ट मायनिंग प्लान भारतीय खान ब्यूरो के समक्ष अनुमोदन हेतु दिनांक 11.08.2014 को जमा किया जा चुका है, साथ ही दिनांक 28.02.2015 को आईबीएम के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का स्थल निरीक्षण भी किया जा चुका है। उक्त मायनिंग प्लान अनुमोदन हेतु सनय लगने की संभावना है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किए जाने हेतु 06 माह समयावृद्धि प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3/ छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के उपर्युक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम-22(4)के प्रावधान अनुसार विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.01.2015 के द्वारा जिला सरगुजा, तहसील सीतापुर, ग्राम पथरई के कुल रकबा 99.350 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31.03.2015 तक के लिये दी गई समयावधि को राज्य शासन एतद् द्वारा पुनः 06 माह के लिये अर्थात् दिनांक 31.09.2015 तक समयावृद्धि प्रदान करता है।

4/ अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार;


(संजय कनकन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग